

न्यायालय:- तृतीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग- 2, गोहद जिला भिण्ड, म.प्र.  
(समक्ष : पंकज शर्मा)

व्य. वाद क्रमांक :- 34-ए/2014

संस्थित दिनांक :- 03/12/13

01. सरनाम पुत्र जगन्नाथ प्रताप शर्मा उम्र 63 वर्ष  
02. रामवरन पुत्र जगन्नाथ प्रताप शर्मा उम्र 58 वर्ष  
निवासीगण :- ग्राम बड़ागर, तह.-गोहद, जिला-भिण्ड, (म.प्र.)

----- वादीगण

विरुद्ध

01. जगमोहन पुत्र निरन्जन उम्र 63 वर्ष  
02. रामस्वरूप पुत्र निरन्जन उम्र 60 वर्ष  
03. गनेशराम पुत्र निरन्जन उम्र 43 वर्ष  
04. बेताल पुत्र निरन्जन उम्र 38 वर्ष  
05. रमाशंकर उर्फ बंटी पुत्र जगमोहन उम्र 33 वर्ष  
06. मुनीश पुत्र जगमोहन उम्र 31 वर्ष  
निवासीगण :- ग्राम बड़ागर, तह.-गोहद, जिला-भिण्ड, (म.प्र.)

----- प्रतिवादीगण

// निर्णय //

{आज दिनांक :- 31/01/2017 को घोषित किया}

(01). वादी सरनाम एवं अन्य द्वारा यह वाद प्रतिवादीगण के विरुद्ध ग्राम बड़ागर, तहसील गोहद स्थित आम रास्ता लगभग 90 फुट चौड़ा, के संदर्भ में स्वत्व घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा के अनुतोष वावत् प्रस्तुत किया गया है। उक्त रास्ता को निर्णय के आगे की कड़िकाओं में वादग्रस्त रास्ता नाम से सम्बोधित किया गया है।

(02). प्रतिवादी क्रमांक 03 एवं 04 का पंचायत सचिव के पद पर कार्यरत होना प्रतिवादीगण द्वारा स्वीकृत एक तथ्य है।

(03). स्वीकृत तथ्यों से इतर वादीगण के अभिवचन संक्षेप में सारतः इस प्रकार हैं कि वह वादग्रस्त भूमि आम रास्ते की जगह है, प्रतिवादीगण वादग्रस्त भूमि में जबरन निर्माण कार्य कर रास्ता को अवरुद्ध कर रहे हैं। वादग्रस्त भूमि का पूर्व में भूमि सर्वे क्रमांक 107 था एवं वादग्रस्त भूमि गाँव का आम रास्ता होकर गाँव आबादी से होकर निकलता था। वादग्रस्त रास्ता से लगी हुई वादीगण की भूमि सर्वे क्रमांक 56 थी, वादीगण उक्त भूमि की ओर

जाने के लिए उक्त वादग्रस्त रास्ते से निकलते आ रहे हैं। वदोबस्त के पश्चात् वादग्रस्त रास्ता ग्राम आबादी में शामिल हो गया है। वदोबस्त से पूर्व वादग्रस्त रास्ता 90 फुट चौड़ा था। वदोबस्त के पश्चात् वादीगण की भूमि सर्वे क्रमांक 56 का नवीन सर्वे क्रमांक 41 हो गया है और वादग्रस्त रास्ते पर प्रतिवादी द्वारा निर्माण करने एवं अन्य लोगों द्वारा अतिक्रमण कर लेने से वह मात्र 40 फुट चौड़ा रह गया है। दिनांक 29/11/2013 को सुबह 09-10 बजे प्रतिवादीगण वादग्रस्त रास्ते में जबदस्ती निर्माण करने लगे, तो वादीगण ने उन्हें रोका तब प्रतिवादीगण झगड़ा पर आमदा हुये। वादी क्रमांक 03 द्वारा 29/11/2013 को तहसीलदार गोहद को इस वावत् आवेदन प्रस्तुत किया, तो प्रतिवादीगण नाराज होकर झगड़े पर उतारू हो गये। प्रतिवादीगण द्वारा निर्माण कार्य करने से पूर्व ग्राम पंचायत से कोई स्वीकृति नहीं ली गई। दिनांक 30/11/2013 को प्रतिवादीगण पुनः निर्माण करने का प्रयास करने लगे। प्रतिवादी क्रमांक 03 एवं 04 ग्राम पंचायत सचिव पद पर कार्यरत है और उन्होंने उनके भतीजे प्रतिवादी क्रमांक 05 एवं 06 के पक्ष में ग्राम आबादी में गलत रूप से पट्टे करा लिये हैं, जिसके विरुद्ध वादीगण द्वारा विधिवत् अपील पेश की गई, जो कि एसडीओ गोहद द्वारा पारित आदेश दिनांक : 10/10/2014 निरस्त कर दी गई। प्रतिवादी क्रमांक 05 एवं 06 आवासहीन व्यक्ति नहीं हैं, इसलिए उनके पक्ष में किये गये पट्टे शून्य हैं। अतः वादी द्वारा वाद प्रस्तुत कर निवेदन है कि यह धोषित किया जाये कि वादीगण वादग्रस्त रास्ते में से होकर आवागमन करने के अधिकारी हैं एवं प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा के माध्यम से निषेधित किया जाये कि वह वादग्रस्त रास्ते में निर्माण कार्य करके पत्थर, घूरा आदि डालकर उसे अवरुद्ध न करें, ना किसी अन्य के माध्यम से कराये और वादीगण को वादग्रस्त रास्ते का सुविधापूर्वक आवागमन के लिए उपयोग करने दें।

(04). स्वीकृत तथ्यों से इतर वादीगण के समस्त अभिवचनों को विनिर्दिष्ट रूप से अस्वीकार करते हुए प्रतिवादीगण द्वारा वादोत्तर में किये गये अभिवचन संक्षेप में सारतः इस प्रकार हैं कि प्रतिवादीगण ने किसी भी रास्ते में कोई निर्माण कार्य नहीं किया है। वादपत्र के साथ संलग्न नक्शे में लाल स्याही से दर्शित भू-भाग रास्ता नहीं है, वादग्रस्त जगह पर से होकर वादीगण के खेत की ओर जाने के लिए कभी भी किसी भी प्रकार का कोई रास्ता नहीं रहा। वादीगण द्वारा अवैध रूप से प्रतिवादी क्रमांक 05 एवं 06 के स्वामित्व एवं आधिपत्य की जगह को वादग्रस्त जगह के रूप में दर्शित किया है, जिससे वादीगण को कोई संबंध नहीं है। वादग्रस्त जगह सर्वे क्रमांक 40 ग्राम बडागर में स्थित है। वादग्रस्त जगह पर प्रतिवादी क्रमांक 05 एवं 06 पूर्वजों के समय से ही घूरा डालकर, कड़ा थापकर, खूंटे गाड़कर, खनौटे बनाकर निर्विघ्न रूप से उपयोग एवं उपभोग करते आ रहे हैं। वादीगण सर्वे क्रमांक 43 में से होकर उनके खेत सर्वे क्रमांक 41 में आवागमन करते रहे हैं। दिनांक 29-30 नवम्बर 2013 को कोई घटना घटित नहीं हुई। प्रतिवादीगण द्वारा जो निर्माण कार्य किया जा रहा है, वह विधिवत् अनुमति प्राप्त कर किया जा रहा है। प्रतिवादी क्रमांक 05 एवं 06 के पक्ष में ग्राम आबादी में विधि अनुसार पट्टे प्रदान किये

गये हैं। न्यायालय एसडीओ गोहद का आदेश दिनांक : 10/10/2014 विधि पूर्ण एवं वादीगण पर प्रभावशील है। फलतः उपरोक्तानुसार वादीगण का वाद सव्यय निरस्त किया जाये।

(05). उभयपक्षों के अभिवचनों के आधार पर दिनांक :- 27/02/2015 को वाद-प्रश्न विरचित किये गये, जो कि निम्नलिखित हैं, जिनके समक्ष विवचेना के उपरांत निष्कर्ष अंकित किए गये हैं :-

क्रमांक	वाद प्रश्न	निष्कर्ष
01.	क्या वादीगण को वादग्रस्त रास्ता स्थित ग्राम बड़ागर में से होकर आवागमन करने का आवश्यकता का या चिरभोगाधिकार के आधार पर सुखाधिकार प्राप्त है?	“प्रमाणित नहीं”
02.	क्या प्रतिवादीगण द्वारा उक्त सुखाधिकार के इस्तमाल में वादीगण का कोई अवैध बाधा उत्पन्न की जा रही है?	“अप्रमाणित”
03.	क्या वादी द्वारा वाद का समुचित मूल्यांकन कर पर्याप्त न्यायशुल्क अदा किया गया है?	“वाद मूल्यांकन समुचित परन्तु न्यायशुल्क अपर्याप्त”
04.	क्या वादी द्वारा वाद परिसीमा विधि में विहित परिसीमा काल के अन्दर प्रस्तुत किया गया है?	“प्रमाणित”
05.	अंतिम निष्कर्ष एवं व्यय?	वाद निर्णय के पद क्रमांक 19 के अनुसार अप्रमाणित पाये जाने से निरस्त किया गया।

// निष्कर्ष एवं आधार //

वाद प्रश्न क्रमांक : 01

(06). इस वाद प्रश्न के संदर्भ में वादी सरनाम वा.सा.01 ने उसके अभिवचनों के अनुरूप शपथ पत्रीय मुख्य परीक्षण कथन प्रस्तुत किया है। साक्षी इन्द्रवीर सिंह वा.सा.02 एवं छोटे सिंह वा.सा.03 ने वादी के अभिवचनों के अनुरूप उनका मुख्य परीक्षण शपथ-पत्र प्रस्तुत किये हैं। वादी ने उसके वाद के समर्थन में न्यायालय एसडीओ गोहद के प्रकरण क्रमांक 24/13-14/अपील माल की आदेश पत्रिका दिनांक : 10/10/2014 की

प्रमाणित प्रतिलिपि प्र.पी.01, न्यायालय एसडीओ गोहद के प्रकरण क्रमांक 25/13-14/अपील माल की आदेश पत्रिका दिनांक : 10/10/2014 की प्रमाणित प्रतिलिपि प्र.पी.02, वादी द्वारा प्रस्तुत ग्राम बड़ागर के सम्वत् 1997 वर्ष 1940-41 के अक्श की प्रमाणित प्रतिलिपि प्र.पी.03, ग्राम बड़ागर के सर्वे क्रमांक 56 की सम्वत् 2020 लगायत 2024 की प्रमाणित प्रतिलिपि प्र.पी.04 एवं ग्राम बड़ागर के सर्वे क्रमांक 41 के वर्ष 2013-14 के खसरे की प्रमाणित प्रतिलिपि प्र.पी.05 प्रस्तुत की है।

(07). प्रति-परीक्षण के पद क्रमांक 06 में वादी सरनाम वा.सा.01 ने यह दर्शित किया है कि उसने ग्राम पंचायत बड़ागर को कभी कोई ऐसा आवेदन नहीं दिया कि प्रतिवादीगण ने बीच रास्ते में मकान बना लिया है और स्वतः कहा है कि उसके छोटे भाई ने ऐसा आवेदन दिया है। साक्षी आगे कहता है कि उसने तहसीलदार गोहद को इस वावत् लिखित शिकायत की थी कि प्रतिवादीगण रास्ते में मकान बना रहे हैं और इस वावत् शिकायती दस्तावेज उसने प्रकरण में पेश किये हैं। साक्षी आगे कहता है कि उसकी शिकायत पर से तहसीलदार ने आरोपीगण के विरुद्ध स्थगन आदेश जारी किया था, जिसकी कॉपी उसने प्रकरण में प्रस्तुत की है। अभिलेख के अवलोकन से भी यह दर्शित होता है कि वादीगण की ओर से वादी सरनाम के किसी छोटे भाई द्वारा ग्राम पंचायत बड़ागर को दिये गये किसी आवेदन या वादी सरनाम वा.सा.01 द्वारा तहसीलदार गोहद को इस वावत् किये गये किसी लिखित शिकायत या तहसीलदार गोहद द्वारा प्रतिवादीगण के विरुद्ध मार्ग में भवन निर्माण ना करने के संबंध में जारी किसी स्थगन आदेश की मूल प्रति, प्रमाणित प्रति या छायाप्रति प्रस्तुत नहीं की गई है। इसलिए यह प्रमाणित नहीं माना जा सकता कि वादीगण द्वारा प्रतिवादीगण के विरुद्ध ग्राम पंचायत बड़ागर या तहसीलदार गोहद के समक्ष इस वावत् कोई शिकायत की गई थी।

(08). प्रति-परीक्षण के पद क्रमांक 07 में वादी सरनाम वा.सा.01 का कहना है कि वादग्रस्त रास्ता पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर जाता है और वादग्रस्त रास्ते के दक्षिण में उसका गौड़ा एवं अलवेल का गौड़ा स्थित है। वादीगण की ओर से प्रस्तुत ग्राम बड़ागर के सम्वत् 1997 वर्ष 1940-41 के अक्श की प्रमाणित प्रतिलिपि प्र.पी.03 के अवलोकन से यह दर्शित होता है कि तत्कालीन सर्वे क्रमांक 107 का जो मार्ग है, वह पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर जाता है और जिसके उत्तर दिशा में सर्वे क्रमांक 56 स्थित है, जिसे कि वादी द्वारा स्वयं का खेत होना दर्शित किया जा रहा है। इस प्रकार वादीगण का कथित खेत जिसका बंदोवस्त के पूर्व का सर्वे क्रमांक 56 था, वह वादग्रस्त रास्ते सर्वे क्रमांक 107 के उत्तर दिशा में स्थित है अथवा दक्षिण दिशा में स्थित है, इस वावत् वादी सरनाम वा.सा.01 के न्यायालयीन अभिसाक्ष्य के पद क्रमांक 07 में किये गये कथन तथा वादीगण की ओर से प्रस्तुत ग्राम बड़ागर के सम्वत् 1997 वर्ष 1940-41 के अक्श की प्रमाणित प्रतिलिपि प्र.पी.03 में दर्शित तथ्यों के मध्य गंभीर विरोधाभास है।

(09). प्रति-परीक्षण के पद क्रमांक 08 में वादी सरनाम वा.सा.01 ने यह दर्शित किया है कि वादग्रस्त रास्ते का पूर्व का सर्वे क्रमांक 107 है, वर्तमान सर्वे क्रमांक उसे नहीं मालूम। वादी द्वारा उक्त कथित वादग्रस्त रास्ते का वर्तमान सर्वे क्रमांक उसके अभिवचनों में भी दर्शित नहीं किया गया है। वादीगण की ओर से ग्राम बड़ागर की ऐसी कोई रीनम्बरिंग सूची भी प्रस्तुत नहीं की गई है, जिससे यह दर्शित होता हो कि बंदोवस्त के पूर्व के सर्वे क्रमांक 107 का बंदोवस्त पश्चात् नवीन सर्वे क्रमांक क्या है और उक्त सर्वे क्रमांक की नौइयत क्या है? वादीगण की ओर से ग्राम बड़ागर के वर्तमान के मार्गों के संबंध में भी कोई राजस्व अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया। वादीगण की ओर से कथित वादग्रस्त मार्ग के वर्तमान के या किसी भी काल के खसरे की कोई प्रमाणित प्रतिलिपि प्रस्तुत नहीं की गई है। इसलिए यह अभिनिश्चित किया जाना संभव नहीं है कि वर्ष 1940-41 के ग्राम बड़ागर के सर्वे क्रमांक 107 में स्थित मार्ग वाद प्रस्तुत दिनांक को अस्तित्व में था भी, अथवा नहीं और वादीगण को उस मार्ग में से होकर कोई मार्गाधिकार प्राप्त था, अथवा नहीं।

(10). प्रतिवादी जगमोहन प्रति.सा.01 ने उसके मुख्य परीक्षण के पद क्रमांक 02 में यह दर्शित किया है कि वादीगण सर्वे क्रमांक 43 में से होकर आम रास्ते से उनके सर्वे क्रमांक 41 के खेत में सुविधापूर्वक आवागमन करते चले आ रहे हैं। प्रति-परीक्षण के पद क्रमांक 08 में वादी सरनाम वा.सा.01 ने प्रतिवादी अधिवक्ता के इस सुझाव को स्वीकार किया है कि विक्रेता बच्चूलाल से उसने एवं उसके भाईयों ने खेत खरीदा है। प्रतिवादीगण ने इस वावत् वादीगण सरनाम, रामवरन एवं मृत वादी दाताराम द्वारा बच्चूलाल से कयशुदा ग्राम बड़ागर के सर्वे क्रमांक 43 के विक्रय पत्र दिनांक : 08/07/1999 की प्रमाणित प्रतिलिपि प्र.डी.06 एवं सर्वे क्रमांक 43 के वर्ष 2013-14 के खसरे की प्रमाणित प्रतिलिपि प्र.डी.04 प्रस्तुत की है, जिससे यह प्रकट होता है कि वादीगण प्र.डी.06 के विक्रय पत्र के आधार पर सर्वे क्रमांक 43 स्थित ग्राम बड़ागर के कयशुदा भाग पर सहआधिपत्यधारी है। वादी सरनाम वा.सा.01 ने प्रतिवादी अधिवक्ता के इस सुझाव को स्वीकार किया है कि उनके द्वारा खरीदे गये खेत की पश्चिम दिशा की ओर आम रास्ता है। साक्षी ने प्रतिवादी अधिवक्ता के इस सुझाव को भी स्वीकार किया है कि बच्चूलाल से कयशुदा उक्त खेत की सीमा उसके खेत से लगी हुई है। इस वावत् प्रतिवादीगण ने ग्राम बड़ागर के सर्वे क्रमांक 40, 41, 42, 43 एवं 44 के वर्ष 2013 के अक्श की प्रमाणित प्रतिलिपि प्र.डी.05 प्रस्तुत की है, जिसके अवलोकन से यह दर्शित होता है कि वादीगण द्वारा बच्चूलाल से कयशुदा सर्वे क्रमांक 43 के उत्तर-पश्चिम दिशा में रास्ता है और उक्त कयशुदा सर्वे क्रमांक 43 एवं वादी के आधिपत्य का सर्वे क्रमांक 41 की सीमा एक-दूसरे से लगी हुई हैं। साक्षी ने प्रतिवादी अधिवक्ता के इस सुझाव से इन्कार किया है कि उक्त आम रास्ते एवं बच्चूलाल से कयशुदा खेत से होकर वह अपने खेत पर आ-जा सकता है। जबकि प्रतिवादीगण की ओर से प्रस्तुत ग्राम बड़ागर के अक्श प्र.डी.05 के अवलोकन से यह दर्शित होता है कि सर्वे क्रमांक 41 के आधिपत्यधारी वादीगण

उनके सहआधिपत्य के सर्वे क्रमांक 43 में से होकर सर्वे क्रमांक 43 के उत्तर-पश्चिम दिशा में स्थित मार्ग पर आकर आवागमन कर मार्गाधिकार का उपयोग कर सकते हैं, जिससे यह प्रकट होता है कि वादीगण को सर्वे क्रमांक 41 से सर्वे क्रमांक 43 पर होकर आम-रास्ते पर पहुँचने का एक वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध है। इसलिए यह प्रमाणित नहीं माना जा सकता कि वादीगण को कथित वादग्रस्त रास्ते से होकर आवागमन करने का आवश्यकता का सुखाधिकार प्राप्त है।

(11). उल्लेखनीय है कि वादीगण द्वारा ऐसी कोई रीनम्बरिंग सूची भी प्रस्तुत नहीं की गई है, जिससे यह दर्शित होता हो कि वादीगण के खेत के बंदोवस्त के पूर्व का सर्वे क्रमांक 56 का क्रमांक बंदोवस्त पश्चात् परिवर्तित होकर 41 हो गया है, जिसके उत्तर दिशा में वादग्रस्त रास्ता स्थित है। ग्राम बड़ागर के उक्त सर्वे क्रमांक 56 एवं 107 की रीनम्बरिंग सूची प्रस्तुत ना होने के कारण यह अभिनिश्चित नहीं किया जा सकता कि बंदोवस्त के पूर्व के सर्वे क्रमांक 56 के उत्तर दिशा में वादग्रस्त मार्ग सर्वे क्रमांक 107 स्थित था और पहले वादीगण के पूर्वज और तत्पश्चात् पूर्वजों के उत्तराधिकारी के रूप में वादीगण किस कालावधि से उक्त वादग्रस्त मार्ग से होकर अबाध आवागमन करते आ रहे हैं और इसीलिए यह भी अभिनिश्चित नहीं किया जा सकता कि वादीगण को वादग्रस्त मार्ग से होकर चिरभोगाधिकार के आधार पर वादग्रस्त मार्ग से आवागमन का सुखाधिकार प्राप्त है।

(12). वादीगण द्वारा ऐसा भी कोई दस्तावेज अक्श या नक्शा प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे यह दर्शित होता हो कि उनका सर्वे क्रमांक 41 का वादग्रस्त मार्ग से सटा हुई भुजा कितने फुट की है। वादी द्वारा उसके अभिवचनों यह दर्शित किया गया है कि बंदोवस्त के पश्चात् वादग्रस्त मार्ग ग्राम आबादी में शामिल हो गया है। परन्तु वादी द्वारा यह दर्शित नहीं किया गया कि ग्राम आबादी में शामिल होने के पश्चात् वादग्रस्त मार्ग का सर्वे क्रमांक क्या हो गया है और उक्त सर्वे क्रमांक की वर्तमान नौइयत क्या है? इस वावत् वादी द्वारा मात्र वर्ष 1940-41 का अक्श प्रस्तुत किया गया है, वर्तमान का नहीं। वादग्रस्त स्थल पर चालीस फुट चौड़ा मार्ग शेष होना स्वयं वादीगण द्वारा उसके अभिवचनों में दर्शित किया है, जो कि पर्याप्त चौड़ा होकर आवागमन के लिए पर्याप्त होता है।

(13). वादी साक्षी इन्द्रवीर वा.सा.02 का उसके प्रति-परीक्षण के पद क्रमांक 06 में कहना है कि वह ग्राम बड़ागर का रहने वाला नहीं है तथा प्रति-परीक्षण के पद क्रमांक 05 में उसका कहना है कि उसे वादीगण एवं प्रतिवादीगण के मध्य वादग्रस्त रास्ते को लेकर हुये किसी विवाद की कोई जानकारी नहीं है।

(14). प्रतिवादी जगमोहन प्रति.सा.01 ने उसके अभिवचनों के अनुरूप मुख्य परीक्षण शपथ-पत्र प्रस्तुत किया है। प्रति-परीक्षण के पद क्रमांक 09 में प्रतिवादी जगमोहन प्रति.सा.01 ने वादी अधिवक्ता के इस सुझाव को अस्वीकार किया है कि उसे पट्टे पर प्राप्त भूमि शासकीय मार्ग की भूमि है। साक्षी ने इस सुझाव से भी इन्कार किया है कि उसे निर्माण कार्य करने से तहसीलदार ने रोका था और इस सुझाव से भी इन्कार किया है कि वह वादीगण के आवागमन के रास्ते को रोकता है। इस प्रकार प्रतिवादी जगमोहन प्रति.सा.01 का न्यायालयीन अभिसाक्ष्य प्रति-परीक्षण उपरांत भी तात्विक रूप से अखण्डित रहा है।

(15). इस प्रकार उपरोक्त विवेचना के आलोक में न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचा है कि वादीगण यह प्रमाणित करने में असफल रहे हैं कि उन्हें वादग्रस्त रास्ता स्थित ग्राम बड़ागर में से होकर आवागमन करने का आवश्यकता का या चिरभोगाधिकार के आधार पर सुखाधिकार प्राप्त है। फलतः इस वाद प्रश्न का निष्कर्ष “प्रमाणित नहीं” के रूप में दिया जाता है।

#### **वाद प्रश्न क्रमांक : 02**

(16). इस वाद प्रश्न के संदर्भ में वादी सरनाम वा.सा.01 ने उसके अभिवचनों के अनुरूप शपथ पत्रीय मुख्य परीक्षण कथन प्रस्तुत किया है। साक्षी इन्द्रवीर सिंह वा.सा.02 एवं छोटे सिंह वा.सा.03 ने वादी के अभिवचनों के अनुरूप उनका मुख्य परीक्षण शपथ-पत्र प्रस्तुत किये हैं। चूँकि वाद प्रश्न क्रमांक 01 के निष्कर्ष के अनुसार वादीगण को वादग्रस्त रास्ता स्थित ग्राम बड़ागर में से होकर आवागमन करने का आवश्यकता का या चिरभोगाधिकार के आधार पर सुखाधिकार होना प्रमाणित नहीं पाया गया है, इसलिए प्रतिवादीगण द्वारा वादग्रस्त मार्ग में सुखाधिकार के इस्तमाल में वादीगण को कोई अवैध बाधा उत्पन्न किये जाने का कोई प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है। फलतः इस वाद प्रश्न का निष्कर्ष “अप्रमाणित” के रूप में दिया जाता है।

#### **वाद प्रश्न क्रमांक : 03**

(17). हस्तगत स्वत्व घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा के अनुतोष बावत प्रस्तुत किया गया है। स्वत्व घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा के अनुतोष के वाद में वाद मूल्यांकन का सिद्धान्त धारा :- 7 (IV) c न्यायालय शुल्क अधिनियम में उपबन्धित है जिसके अनुसार वादी को उनके द्वारा चाहे गये अनुतोष के मूल्यांकन करने की स्वतंत्रता है तथा उसे किये गये मूल्यांकन पर मूल्यानुसार न्यायशुल्क अदा करना होता है। वादी द्वारा अनुतोष का कुल मूल्यांकन 5,900/- रुपये निर्धारित किया गया है तथा मूल्यानुसार 100/- रुपये न्याय शुल्क अदा किया गया है, जो कि जो कि पर्याप्त नहीं है। क्योंकि वादी को उसके द्वारा किये गये वाद मूल्यांकन 5,900/- रुपये पर मूल्यानुसार 12

प्रतिशत न्यायशुल्क अर्थात् 708/- रुपये अदा किया जाना था, जो कि नहीं गया है। फलतः इस वाद प्रश्न का निष्कर्ष “मूल्यांकन समुचित लेकिन न्यायशुल्क अपर्याप्त” के रूप में विनिश्चित किया जाता है।

#### **वाद प्रश्न क्रमांक : 04**

(18). प्रतिवादीगण ने उनके वादोत्तर के पद क्रमांक 06 में यह अभिवचन किया है कि दिनांक : 30/11/2013 को वादीगण को कोई वाद कारण उत्पन्न नहीं हुआ। इसलिए वादीगण का वाद परिसीमा काल के प्रावधानों से बाधित है। उल्लेखनीय है कि वादीगण द्वारा दिनांक : 30/11/2013 को प्रतिवादीगण द्वारा वादग्रस्त मार्ग पर निर्माण कार्य प्रारम्भ करने के आधार पर उन्हें वाद कारण उत्पन्न होना दर्शित करते हुए मात्र दो दिन पश्चात् दिनांक : 02/12/2013 को हस्तगत वाद प्रस्तुत कर दिया गया है। इसलिए किसी भी स्थिति में यह नहीं कहा जा सकता कि सुखाधिकार की घोषणा के लिए प्रस्तुत हस्तगत वाद परिसीमा विधि में विहित परिसीमा काल के पश्चात् प्रस्तुत किया गया है। फलतः इस वाद प्रश्न का निष्कर्ष “प्रमाणित” के रूप में दिया जाता है।

#### **{ अंतिम निष्कर्ष एवं व्यय }**

- (19). उपरोक्त साक्ष्य विवेचना से यह स्पष्ट है कि वादीगण उनका वाद प्रमाणित करने में असफल रहा हैं। फलतः वादीगण का वाद निरस्त किया जाता है।
- (20). वादीगण स्वयं के साथ-साथ प्रतिवादीगण का भी वाद-व्यय वहन करेंगे।
- (21). अभिभाषक शुल्क म.प्र. व्यवहार न्यायालय नियम 1961 के नियम 523 के अनुसार अथवा प्रमाणित किये जाने पर दोनों में से जो भी कम हो देय होगा।
- (22). तदनुसार जय पत्र बनाया जावे।

निर्णय आज दिनांकित एवं  
हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया।

मेरे निर्देशानुसार टंकित किया।

(पंकज शर्मा)  
तृतीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2  
गोहद जिला भिण्ड, म.प्र.

(पंकज शर्मा)  
तृतीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2  
गोहद जिला भिण्ड, म.प्र.